न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 06/2022

1 ईशाक पुत्र मुस्ताक।
2 इरफान पुत्र मुस्ताक।
3 सहिदन पुत्री मुस्ताक निवासीगण मौहल्ला कुरेशियान, वार्ड नम्बर 38 बड़े हकीम साहब की दरगाह के पा सीकर तहसील व जिला सीकर हाल निवासीगण ए/703, मलकानी टॉवर, बांडीवली हिल रोड़, जोगेश्वरी वेस्ट मुम्बई।
4 इस्पाक पुत्र मुस्ताक।
5 इम्तियाज पुत्र मुस्ताक।
6 ईस्ताक पुत्र मुस्ताक निवासीगण मौहल्ला कुरेशियान वार्ड नम्बर 38 बडे हकीम साहब की दरगाह के पास सीकर तहसील व जिला सीकर हाल निवासीगण 104 रूबी टॉवर, सहकार रोड़ जोगेश्वरी वेस्ट मुम्बई।
7 इलहाक पुत्र बाबू।
8 इलियास पुत्र बाबू।
9 शहनाज पुत्री बाबू।
10 साहिन पुत्र बाबू निवासीगण मौहल्ला कुरेशियान वार्ड नम्बर 38 बड़े हकीम साहब की दरगाह के पास सीकर तहसील व जिला सीकर हाल निवासीगण ए/504 मलकानी टॉवर बांडीवली हिल रोड़ जोगेश्वरी वेस्ट मुम्बई।

अपीलांट

बनाम

1 अब्दुल रहमान पुत्र फतू खां उर्फ फतेह मोहम्मद।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2 भाउदीन पुत्र फतू खां उर्फ फतेह मोहम्मद समस्त जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 38 मौहल्ला कुरेशियान बड़े हकीम साहब की दरगाह के पास सीकर तहसील व जिला सीकर।

3 प्रतिभा देवी पत्नी बजरंगलाल खीचड़ जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।

4 भगवानी देवी पत्नी नाथूसिंह जाति जाट निवासी भुंवाला तहसील धोद जिला सीकर।

5 भूमिधारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 14.09.2011 अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, सीकर बउनवानी अब्दुल रहमान बनाम मुश्ताक दावा संख्या 106/2009 अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अपील संख्या 07/2022

1 1 ईशाक पुत्र मुस्ताक।

2 इरफान पुत्र मुस्ताक।

3 सहिदन पुत्री मुस्ताक निवासीगण मौहल्ला कुरेशियान, वार्ड नम्बर 38 बड़े हकीम साहब की दरगाह के पा सीकर तहसील व जिला सीकर हाल निवासीगण ए/703, मलकानी टॉवर, बांडीवली हिल रोड़, जोगेश्वरी वेस्ट मुम्बई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

4 इस्पाक पुत्र मुस्ताक।
5 इम्तियाज पुत्र मुस्ताक।
6 ईस्ताक पुत्र मुस्ताक निवासीगण मौहल्ला कुरेशियान वार्ड नम्बर 38 बडे हकीम साहब की दरगाह के पास सीकर तहसील व जिला सीकर हाल निवासीगण 104 रूबी टॉवर, सहकार रोड़ जोगेश्वरी वेस्ट मुम्बई।
7 इलहाक पुत्र बाबू।
8 इलियास पुत्र बाबू।
9 शहनाज पुत्री बाबू।
10 साहिन पुत्र बाबू निवासीगण मौहल्ला कुरेशियान वार्ड नम्बर 38 बड़े हकीम साहब की दरगाह के पास सीकर तहसील व जिला सीकर हाल निवासीगण ए/504 मलकानी टॉवर बांडीवली हिल रोड़ जोगेश्वरी वेस्ट मुम्बई।

अपीलांट

बनाम

1 अब्दुल रहमान पुत्र फतू खां उर्फ फतेह मोहम्मद।
2 भाउदीन पुत्र फतू खां उर्फ फतेह मोहम्मद समस्त जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 38 मौहल्ला कुरेशियान बड़े हकीम साहब की दरगाह के पास सीकर तहसील व जिला सीकर।
3 प्रतिभा देवी पत्नी बजरंगलाल खीचड़ जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।
4 भगवानी देवी पत्नी नाथूसिंह जाति जाट निवासी भुंवाला तहसील धोद जिला सीकर।
5 भूमिधारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व अन्तिम डिक्री व निर्णय दिनांक 04.05.2012 अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर बउनवानी अब्दुल रहमान बनाम मुश्ताक दावा संख्या 106/2009 अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

उपस्थिति :

1. श्री महेश कुमार पटेल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नानूराम बुडानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 02.02.23

यह दोनो अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 106/2009 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2011 एवं अन्तिम डिक्री 04.05.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, सीकर के समक्ष एक वाद संख्या 106/2009 बाबत बंटवारा, उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ पेश कियाः– निवेदन है कि कृषि भूमि वाके ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित भूमि खसरा संख्या 145 रकबा 2.01 हैक्टर, खसरा संख्या 146 रकबा 2.08 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 4.09 हैक्टर जो वादी एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता फतु खॉ की क्रयशुदा भूमि है। उक्त भूमि पर वादी ही अपने जीवनकाल में काश्त करता है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाहर रहने एवं प्रतिवादी संख्या 3 छोटा होने के कारण कभी भी सार संभाल नही की वादी ने अपने भाईयो की काश्त कर उसका खर्चा वहन किया है। वादी के पिता की मृत्यू होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मन में बेईमानी आने पर वादी द्वारा उपरोक्त आराजी के चारो तरफ बन्दी में लगा खर्चा मांगने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना कर दिया जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य दिनांक 17.11.2001 को इकरारनामा बाबत बंटवारा का किया तथा नक्शा तैयार मौके पर वादी 1/4 हिस्से पर काबिज हो गया, भूमियों का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। जिसका प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 लाभ उठाकर सन् 2007 में प्रतिवादी संख्या 4, 5 को 1/2 भूमि का विक्रय कर दिया इसलिए वादी भूमियों का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा अलग से खातेदार के रूप में संयोजित होने का कानूनन अधिकारी है कि उद्घोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 14.09.2001 बिना अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की तामिल हुए ही को विभाजन हेतू प्रारम्भिक रूप से वाद डिक्री कर दिया तथा इसके बाद एकतरफा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 04.05.2012 को वाद को अंतिम रूप से डिक्री कर दिया। इन दोनो अपीलो के विरूद्व दो पृथक–पृथक अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट्स के पिता मुश्ताक व बाबू विचारण न्यायालय मे पक्षकार थे। विचारण न्यायालय में उनके पिता की तामील हुये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचाराधीन निर्णय से पूर्व ही अपीलांट के पिता बाबू व मुश्ताक की मृत्यु हो चुकी थी। विचारण न्यायालय में अपीलांट्स को बतौर कायम मुकाम पक्षकार संयोजित नही किया गया। अपीलांट्स एवं उनके पिता मुम्बई रहते है। इसकी रिपोर्ट अपीलांट के पिता के नोटिस पर भी आ चुकी थी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 व धारा 96 के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। दोनो आवेदन न्यायहित में स्वीकार किये जावें। विभाजन प्रस्ताव से पूर्व भी अपीलांट्स को सूचित नही किया गया है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव आई.एल.आर. द्वारा तैयार किया गया है। विधि अनुसार तहसीलदार द्वारा नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किये गये है। अत दोनों अपीले स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट्स ने अपने पिता मुश्ताक के जीवनकाल में विचाराधीन निर्णय को चुनौती नही दी है। विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक तामील करवाकर विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किये गये है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कारण अंकित नही किया गया है। पारिवारिक विभाजन में खसरा नम्बर 145 अपीलांट के पिता द्वारा विक्रय की जा चुकी है। अत अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स के पिता मुश्ताक व बाबू विचारण न्यायालय मे पक्षकार थे। विचारण न्यायालय में उनके पिता की तामील हुये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचाराधीन निर्णय से पूर्व ही अपीलांट के पिता बाबू व मुश्ताक की मृत्यु हो चुकी थी। विचारण न्यायालय में अपीलांट्स को बतौर कायम मुकाम पक्षकार संयोजित नही किया गया। अपीलांट्स एवं उनके पिता मुम्बई रहते है। इसकी रिपोर्ट अपीलांट के पिता के नोटिस पर भी आ चुकी थी। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय ने सम्यक तामील करवाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 व धारा 96 के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमती दी जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने मे हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण प्रश्न है विचारण न्यायालय में अपीलांट के पिता की सम्यक तामील नही हुई है। सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया है। निर्णय से पूर्व अपीलांट के पिता की मृत्यु होने के उपरान्त भी उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव आई. एल.आर द्वारा तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव विधि अनुसार नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार द्वारा तैयार नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर बाद सुनवाई विधिक प्रक्रिया अपनाकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 02.02.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर